छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08.06.2022

प्रति,

**1. समस्त कलेक्टर,**
(भू-अभिलेख शाखा)

**2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
जिला पंचायत...............................

विषय :- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनांतर्गत छूटे एव नवीन आवेदनों की ऑन लाईन प्रविष्टि एवं समय सीमा में किए जाने वाले कार्यो की **संशोधित** कार्य योजना।

--00--

"राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना" छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना है। जिसका शुभांरभ 03 फरवरी 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। इस योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 की प्रथम किश्त दिनांक 21.05.2022 को पात्र हितग्राही 354766 के खाते में सीधा डी.बी.टी. किया गया है। परंतु अभी भी कुछ पात्र हितग्राही छूट गये हैं या जिलों में नये आवेदन प्राप्त हो रहे है। अतः छूटे पात्र हितग्राही एव प्राप्त नवीन आवेदन के पंजीयन के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण किये जाने हेतु **संशोधित** कार्य योजना निम्नानुसार है :-

| क्रं. | योजनांतर्गत किया जाने वाला कार्य | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1. | पंजीयन हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि | 30.06.2022 तक |
| 2. | जनपद पंचायत स्तर पर पोर्टल में प्रविष्टि कर पंजीयन करने की अंतिम तिथि | 15.07.2022 तक |
| 3. | तहसीलदार द्वारा पंजीकृत आवेदनों को स्वीकृति/निरस्त करने की अंतिम तिथि | 25.07.2022 तक |
| 4. | तहसीलदार द्वारा आवेदनों के सत्यापन पश्चात् दावा आपत्ति प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर सूची के प्रकाशन की तिथि | 26.07.2022 |
| 5. | ग्राम पंचायत द्वारा उक्त सूची ग्रामसभा के समक्ष दावा आपत्ति हेतु प्रस्तुत करने की समय-सीमा | 13.08.2022 तक |
| 6. | विशेष ग्राम सभा में दावा आपत्ति आवेदनों का निराकरण | 14.08.2022 तक |
| 7. | ग्रामसभा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पात्र/अप्रात्र हितग्राहियों का वेबसाइट में अद्यतीकरण जनपद स्तर पर | 31.08.2022 तक |
| 8. | अंतिम सत्यापित सूची प्रकाशन की तिथि (जिला कलेक्टर द्वारा) | 01.09.2022 |

निरंतर . . .

अतः योजनांतर्गत ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को योजना का लाभ समय-सीमा में प्रदान किये जाने हेतु पोर्टल में संशोधित कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(नीलम नामदेव एक्का)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

क्रमांक एफ 3-6/2021/सात-3, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 08.06.2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर।
2. संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संभागायुक्त, बस्तर/बिलासपुर/सरगुजा, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

08/6/22
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग